एम.ए.सी.पी. संख्या २२६/२०१९,
१. श्रीमती सरोज उम्र लगभग ४२ वर्ष पत्नी स्व. राज बहादुर उर्फ पप्पू निवासी ग्राम अमरा तहसील मोंठ जिला झाँसी
२. शिवम उम्र लगभग १८ वर्ष पुत्र स्व. राज बहादुर उर्फ पप्पू
३. हरीओम उम्र लगभग १६ वर्ष
४. कु. नन्दनी उम्र लगभग १७ वर्ष
नाबालिग पुत्र व पुत्री स्वत्र राज बहादुर उर्फ पप्पू संरक्षक व सरवराकार मॉ श्रीमती सरोज
५. नाथूराम उम्र लगभग ७५ वर्ष
६. श्रीमती कलावती उम्र लगभग ७२ वर्ष पत्नी नाथूराम
समस्त निवासीगण ग्राम अमरा तहसील मोंठ जिला झाँसी

------याचीगण

प्रति

१. आशीष इण्टरप्राईजेज अंडर कन्ट्रोल आशीष गुप्ता निवासी ४७२ बी.जी.एम. स्कूल के पास मुहल्ला डड़ियापुरा तहसील व जिला झाँसी

.....वाहन स्वामी ट्रोलर नं. यू.पी. ९३ बी.टी. ७५१३

२. चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. श्रीराम वाटिका हाउस एस-१०/६-ए-११, मतूबल आलम रोड श्रीकान्त नगर कालोनी, वाराणसी उ.प्र.

.....बीमा कम्पनी वाहन सं. यू.पी.९३ बी.टी. ७५१३

३. छोटे लाल पुत्र राम पाल नि. ३० नगसिया देवराहट थाना देवराहट कोतवाली भोगनीपुर जिला कानपुर देहात

.....वाहन चालक ट्रोलर नं. यू.पी. ९३ बी.टी. ७५१३

------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री एन.के. गुप्ता
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की ओर से २१बी सुलहनामा दाखिल किया गया, जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को २१बी सुलहनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचीगण व विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा २१बी याचीगण व विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई। २१बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ८,००,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचीगण सुलहनामा २१बी में दर्शित कुल ₹ ८,००,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी स.२ चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹ ८,००,०००** का भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। बीमा कम्पनी द्वारा धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं.१ लगायत ६ क्रमशः ३०, १५, १५, १५, १०, १५ भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. ४ कु. नन्दनी वर्तमान में वयस्क हो चुकी है। याची सं १, २, ४, ५ व ६ को प्राप्त होने वाली धनराशि में से ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी तथा उक्त प्रत्येक को प्राप्त होने वाली शेष २५-२५ प्रतिशत प्रतिकर धनराशि वे अपने-अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए नकद प्राप्त कर सकेंगे। याची सं. ३ हरीओम वर्तमान में अवयस्क है अतः उसे प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि उसके नाम जरिए संरक्षक/मॉ श्रीमती सरोज, याची सं.३ की तीन वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 17:06:31 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi